

# समझौता ज्ञापन (एमओयू)



सत्यमेव जयते

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय  
(भारत सरकार)

एवं



ISO9001:2008

नेशनल सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)  
के मध्य  
वर्ष 2020-21 के लिए



विषय-सूची

भाग	विषय	पृष्ठ भाग
1.	पृष्ठभूमि	1
2.	निष्पादन मूल्यांकन मापदंड एवं लाभ	2-3
3.	सी.पी.एस.ई द्वारा स्व-घोषणा / सत्यापन	4

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए समझौता ज्ञापन-पत्र

(1) पृष्ठभूमि

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए समझौता ज्ञापन-पत्र

(1) पृष्ठभूमि

नेशनल सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) की स्थापना 24 जनवरी 1997 को भारत सरकार द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों, स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों को लघु ऋण योजना सहित सुलभ ऋण प्रदान करके उनके सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान करने के उद्देश्य से हुई

एनएसकेएफडीसी का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों/स्वच्छकारों को दबी हुई सामाजिक एवं आर्थिक दशा से निकालने एवं समाज में सामाजिक व आर्थिक सीढ़ी चढ़ाकर सम्मान और गर्व से जीवन यापन करने के लिए सक्षम बनाना है। एनएसकेएफडीसी राज्य माध्यम अभिकरणों/ के क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ सौझेदारी से सफाई कर्मचारी/स्वच्छकार एवं उनके आश्रितों को सामाजिक व आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु किसी भी आय अर्जित करने वाली योजनाओं/स्वरोजगार गतिविधियों, स्नातक एवं इससे उपर के स्तर के विद्यार्थियों को व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रम, स्वच्छता कार्य के लिए तकनीक उन्नयन ऋण एवं उद्यम प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सफाई कर्मचारी/स्वच्छकार महिलाओं, पुरुषों एवं उनके आश्रितों को उनकी आर्थिक गतिविधियों हेतु ऋण प्रदान करता है। राज्य माध्यम अभिकरणों को वित्तीय सहायता राज्य/केन्द्रशासित सरकारों द्वारा प्रदान की गई गारंटी/आश्वासन पत्र के समक्ष दी जाती है। एनएसकेएफडीसी के लक्षित समूह में कचरा बिगने वाले वर्ग को भी शामिल किया गया है तथा निगम अपने विभिन्न योजनाओं द्वारा उनके उत्थान के लिए भी प्रयासरत है।

समझौता ज्ञापन पत्र को वांछित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने के लिए क्रियान्वित किया गया है।



कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए समझौता ज्ञापन लक्ष्य

क्र	लक्ष्य	इकाई	अंक	अति	बहुत	अच्छा	संतोष	खराब
				उत्कृष्ट	अच्छा			
				100	80	60	40	20
1	परिचालन से राजस्व (कर का नेट)	रुपए फरोड	10	13.30	12.50	12.00	11.50	11.00
2	संचालन लाभ या अधिशेष / परिचालन से राजस्व	%	20	50.00	22.00	20.00	18.00	16.00
3	कर के बाद लाभ / औसत नेट वर्ध	%	20	2.95	1.60	1.40	1.20	1.00
4	ऋण वितरित / कुल निधि उपलब्ध	%	8	93.00	50.00	48.00	46.00	44.00
5	सूक्ष्म वित्त लाभार्थियों को दिया गया ऋण / कुल ऋण वितरित	%	5	48.00	25.00	20.00	18.00	16.00
6	अतिदेय ऋण / कुल ऋण (नेट)	%	7	20.00	22.00	24.00	26.00	28.00
7	मैनुअल स्कैवेंजर्स को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार / स्वरोजगार प्रदान करवाना (व्यक्तियों की संख्या)	संख्या	2	7000	6800	6600	6400	6200
8	कचरा बीनने वालों को प्रशिक्षण देना (व्यक्तियों की संख्या)	संख्या	2	2600	2300	2000	1700	1400
9	मैनुअल स्कैवेंजर्स और सफाई कर्मचारी का स्वास्थ्य बीमा करवाना (व्यक्तियों की संख्या)	संख्या	2	5000	4800	4600	4400	4200
10	चिन्हित मैनुअल स्कैवेंजर्स को एकमुश्त नकद सहायता जारी करना	%	2	100	95	90	85	80
11	यंत्रीकृत सफाई उपकरण / वाहन प्रदान करने के लिए ऋण का संवितरण (नगर निगमों / जल बोर्ड / कैंटोमेंट बोर्ड आदि की संख्या)	संख्या	2	21	20	16	14	12
12	पिछले वर्ष यानी 2019-20 के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद की तुलना में चालू वर्ष में GeM पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का प्रतिशत।	%	5	25	20	15	10	7

13	लक्षित लाभार्थी को संवितरण / 31.12.2020 तक कुल ऋण वितरित	%	5	100	97	95	92	90
14	भौगोलिक कवरेज (राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या)	संख्या	5	36	25	20	18	15
15	अंतिम लाभार्थियों को ऋण संवितरण पर आवधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए डैश बोर्ड का विकास और संचालन और समय-समय पर मध्यस्थ के साथ पड़ी अप्रयुक्त राशि पर आवधिक जानकारी प्राप्त करना।	दिनांक	5	15.02.21	28.02.21	10.03.21	20.03.21	31.03.21
कुल			100					

- वर्ष के लिए उपलब्धियों की गणना करते समय, एमओयू दिशानिर्देशों में निर्धारित नकारात्मक अंक के अलावा, C & AG / सांविधिक लेखा परीक्षकों की मात्रात्मक अवलोकन को उच्च दिखाए गए राजस्व / लाभ / सरप्लस या कम दिखाए गए नुकसान / कमी से समायोजित किया जाएगा।
- यदि 2019-20 के लिए वास्तविक प्रदर्शन अनुमानित प्रदर्शन से अधिक होगा, तो लक्ष्यों को एमओयू दिशानिर्देशों के अनुसार समायोजित किया जाएगा।
- यह सहमति व्यक्त की गई है कि तय किए गए लक्ष्य बिना शर्त के हैं और किसी भी आधार पर किसी भी ऑफसेट की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथा, मूल्यांकन एमओयू दिशानिर्देशों में निहित अतिरिक्त पात्रता मानदंडों के अनुपालन के अधीन होगा।

योगिता स्वरूप

योगिता स्वरूप  
प्रबंध निदेशक  
एनएसकेएफडीसी

आर. सुब्रह्मण्यम  
सचिव भारत सरकार  
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय



## सी.पी.एस.ई द्वारा स्व-घोषणा / सत्यापन

यहाँ यह सत्यापित किया जाता है कि वित्तीय मापदंडों के संबंध में लक्ष्यों एवं वास्तविक उपलब्धियों को समझौता ज्ञापन के निर्देशानुसार वर्ष 2020-21 के लिए समझौता ज्ञापन में दिए गए नियमों एवं परिभाषाओं के अनुसार निकाला गया है। यदि निष्पादन के मूल्यांकन के समय इसमें कोई अंतर पाया जाता है तो लोक उद्यम विभाग समझौता ज्ञापन के दिशानिर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र है। सी.पी.एस.ई. को इस संबंध में दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।

योगिता स्वरूप

प्रधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

( योगिता स्वरूप )  
प्रबन्ध निदेशक